(30)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

नि0/2944/II/15

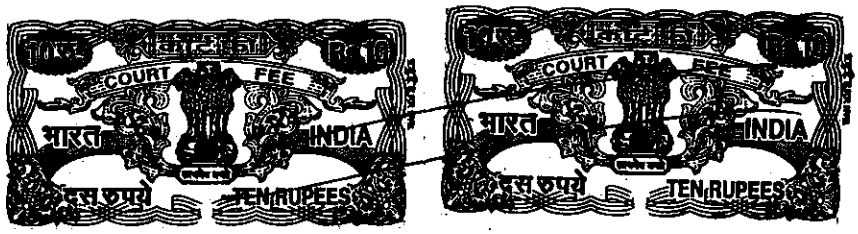

Rs 40/-

327
18.8.15

जगदीश वैसवार तनय स्व0 रामजियावन वैसवार निवासी ग्राम चौगसिहा, तह0 ~~[illegible]~~ रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.

----- निगराकार

बनाम

01- रविशंकर वैसवार तनय जग्यप्रसाद वैसवार, निवासी ग्राम चौगनहा, तह0 ~~[illegible]~~ रामपुर नैकिन, जिला सीधी, म0प्र0.

02- शासन म0प्र0

------- गैरनिगराकार

श्री... मनोज तिवारी ... द्वारा आज दिनांक 18.8.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल हनुमानगढ, तह0रामपुर नैकिन जिला सीधी जो राजस्व निरीक्षक राज0प्र0क्र0 68/अ-12/14-15 दिनांक 05.07.015 जो 15.07.015अंकित कर ~~[illegible]~~ पारित ~~[illegible]~~ किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण कि प्रश्नांकित भूमियां निगराकार की पैत्रिक भूमियां है, जिस भूमियो के भूमिस्वामी निगराकारके पिता रामजियावन थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन भूमियांकामालिक स्वामी स्वत्वधारं निगराकारहै, जिन भूमियांका नामांतरण निगराकारके नाम नामांतरण राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2944–दो/15 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –11–16	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 68/अ–12/14–15 में पारित आदेष दिनांक 05–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 01–7–15 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया जिसपर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। स्थल पंचनामा पर आवेदक जगदीश के हस्ताक्षर अंकित है। सीमांकन के समय एवं सीमांकन आदेश की पुष्टि के समय किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 5–7–15 को सीमांकन की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रतिवेदन में आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध	

में किसी प्रकार की कोई टीप अंकित नहीं है। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये तर्कों का प्रश्न है वह बटवारा नामांतरण के संबंध में तर्क किये हैं जिनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं होने से अमान्य किये जाते है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य